केन्द्रीय रेशम बोर्ड

बेंगलूरु – 560 068

सं केरेबो-30(3)/2017-18/लेखा/पीएफएमएस दिनांक 07.04.2017

परिपत्र

विषय : भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय रेशम बोर्ड (केरेबो) के लिए अनुमोदित विभिन्न योजनाओं को लागू करने और भुगतान विमाचित करने के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के उपयोग - के संबंध में ।

****

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार ने दिनांक 15 जुलाई, 2016 के का.ज्ञा.सं 66(29)/पीएफ.II/016 के द्वारा केन्द्र क्षेत्र योजनाओं के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के सार्वभौमिक नियमावली संबंधी निर्देश जारी किया है । इसके अनुवर्ती में मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय ने का.ज्ञा. सं पीआरएओ/बीबीए/ पीएफएमएस(ईएटी)/वस्त्र मंत्रालय/1164-1171 दिनांक 16 अगस्त,2016 के माध्यम से पीएफएमएस पोर्टल के अधीन पंजीकरण करने के अलावा निधि प्रवाह पदानुक्रम प्रदान करने और घटकों की पहचान के लिए निर्देश जारी किया है (जिसकी प्रति इस कार्यालय के पत्र सं केरेबो-30(1)/2013-14/लेखा/एनआईएफएम, दिनांक 23.08.2016 के माध्यम से सभी केरेबो इकाइयों को पहले ही भेजी जा चुकी है)।

सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के नियम 86 के अनुसार, पीएफएमएस, भारत सरकार के लेखा नियंत्रक के एक अभिन्न वित्तीय प्रबंधन प्रणाली इसका उपयोग स्वीकृति तैयार करने, बिल प्रसंस्करण, भुगतान रसीद प्रबंधन, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी), निधि प्रवाह प्रबंधन और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए किया जाएगा। अनुदान सहायता को मंजूरी दे रहे सभी मंत्रालय निधि प्रवाह तथा उपयोग न की गई शेष राशि का पता लगाने के लिए पीएफएमएस पर कार्यान्वयन का अंतिम स्तर तक सभी अभिकरणों को पंजीकृत करेगा। सभी भुगतान जहाँ तक संभव हो, पीएफएमएस के माध्यम से मंत्रालयों द्वारा 'समय पर' विमोचित किया जाएगा। अनुमोदन के अनुसार अनुदान के लिए विस्तृत मांग (डीडीजी) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में पीएफएमएस पर अपलोड की जानी चाहिए। सभी पुन: विनियोजन आदेश, अभ्यर्पण आदेश पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से तैयार किया जाएगा। सभी अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों द्वारा पीएफएमएस पर उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

अत: मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय, वस्त्र एवं वाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त दिशा-निर्देश के अनुसार केरेबो में वित्तीय वर्ष 2017-18 में पीएफएमएस का उपयोग करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में, यह स्मरण किया जा सकता है कि उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड बनाते हुए पीएफएमएस पोर्टल के प्रचालन के संबंध में पहले एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और वीडियो कान्फ्रेन्स के माध्यम से भी किया गया था। अत: सभी संबंधित पीएफएमएस प्रणाली के संचालन के बारे में जानते हैं। यह सूचित करना है कि केरेबो के लगभग सभी मुख्य इकाइयां और क्षेत्रीय कार्यालय सहित उनके अधीन कार्यरत प्रत्यायोजित इकाइयों ने पंजीकरण किया है और पीएफएमएस के अधीन खाता बनाया और आगे चलने के चरण पर पहूँच चुका है ।

नीचे दिए गए अनुसार पीएफएमएसस के अधीन प्रचालन के लिए तीन स्तरीय प्रचालक तैयार किए जाने की आवश्यकता है।

1. **डाटा ऑपरेटर** - अलग यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ **मेकर** (सहायक निदेशक संवर्ग के नीचे)
2. **डाटा प्रशासक** – अलग यूजर -आईडी और पासवर्ड के साथ **जांचकर्ता** (उ.नि. / स.नि)
3. **डाटा एप्रूवर** - अलग यूजर -आईडी और पासवर्ड के साथ **एप्रूवर** (डीडीओ / निदेशक)

उपरोक्त नामित संवर्ग में अधिकारी / पदाधिकारी की स्थिति में उपलब्ध अनुपस्थिति के मामले में उपलब्ध कर्मचारियों को कम से कम 2 स्तरों पर बना दिया जाए, अर्थात मेकर और एप्रूवर बनाया जाए ।

...2

डीडीओ / निदेशक के अनुमोदन से संबंधित यूजर आईडी और पासवर्ड के सफल रूप में बनाने के बाद इसी प्रक्रिया को अपने नियंत्रणाधीन कार्यरत अधीनस्थ इकाइयों के लिए अपनाई जा सकती है और तदनुसार सक्षम प्राधिकारी को अवगत कराने के लिए फीड बैक केन्द्रीय कार्यालय को भेजा जाए । केरेबो इकाइयां केंद्रीय कार्यालय, बैंगलूरु से जब आवश्यक हो, दिशानिर्देश मांग सकते है ताकि वे निस्सन्देह कार्य कर सके । पीएफएमएस प्रणली का संचालन 01.04.2017 से काम करना शुरू करेगा । इसके बाद, केन्द्रीय कार्यालय, बैंगलूरु मात्र पीएफएमएस के माध्यम से निधि हस्तांतरण करेगा, जिसे कृपया नोट करें । केरेबो इकाइयों को पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से निधि प्राप्त करना होगा। इसी तरह मुख्य इकाइयां अब अपने अधीनस्थ लेखाकरण इकाइयों को मात्र पीएफएमएस के माध्यम से ही धनराशि हस्तांतरित करेगा । एफएएस के तहत खातों के रखरखाव की मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी।

पीएफएमएस पोर्टल (https://pfms.nic.in) में लाइन फ्लो चार्ट के साथ डेमो सिस्टम भी है जिसका पूरी तरह से अध्ययन किया जा सकता है और संबंधित उपयोगकर्ता खुद को परिचित कर सकते हैं। पीएफएमएस के संचालन और उपयोग के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण / संदेह / दिशानिर्देश, यदि कोई हो, तो ई-मेल (pfmsco.csb@gov.in) / फैक्स / दूरभाष पर श्री शिवलिंगय्या एस, सहायक निदेशक (प्र व ले), नोडल अधिकारी और श्री एच.ए. पाण्डुरंगा, उप निदेशक (कंप्यूटर), समन्वयक, केरेबो,केन्द्रीय कार्यालय, बेंगलूरु से संपर्क किया जा सकता है ।

सख्ती से यह सलाह दी जाती है कि इसका कार्यान्वयन और वस्त्र मंत्रालय द्वारा दी गई सलाह के अनुसार डीबीटी मोड के अधीन नियमित भुगतान के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों, मजदूरों /विक्रताओं आदि की सूचना/विवरण अपलोड करें ।

जीएफआर -2017 के नियम 87 के अनुसार – सीधा लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) - सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग कर विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत लाभों का हस्तांतरण सीधे लाभार्थियों को किया जाना चाहिए। चोरी और दोहराव से बचने के उद्देश्य और लाभार्थियों को भुगतान में होने वाले विलंब को कम करने तथा मध्यस्थता स्तर को कम करने के लिए प्रक्रिया की पुर्नरचना के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को सभी सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के लिए अपनाना चाहिए । निर्धारित किए गए अनुसार, डीबीटी संबंधी कार्यान्वयन प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए डीबीटी में लाभार्थियों को देय नकद हस्तांतरण और सामुदायिक श्रमिकों जैसे सरकारी योजनाओं के विभिन्न समर्थकों को हस्तांतरण /मानदेय आदि को भी शामिल करना चाहिए ।

मंत्रालयों/विभागों से नकद लाभों का स्थानांतरण (क) सीधे मंत्रालयों / विभागों के लाभार्थियों को; (ख) राज्य राजकोष खाता अथवा (ग) केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से होना चाहिए । योजना अथवा योजनाओं के घटक सहित व्यक्तिगत लाभार्थी/ घरेलू / सेवा प्रदाता में सरकार द्वारा अथवा केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किसी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से दिए जाने वाले वैयक्तिक लाभ/घरेलू/सेवा प्रदाता शामिल है । व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार मंत्रालय/विभाग नकद भुगतान/ वैयक्तिक लाभार्थियों को हस्तांतरण के लिए पीएफएमएस मंच का उपयोग करेगा। कार्यान्वयन अभिकरण पीएफएमएस पर इलक्ट्रानिक उपयोग प्रमाण-पत्र बनाकर ऑन लाइन पर प्रस्तुत करेंगा। इलक्ट्रानिक उपयोग प्रमाण-पत्र यह प्रमाणित करने केलिए उपयोग किया जाएगा कि धन का उपयोग उस प्रयोजन के लिए किया गया जिस के लिए अनुमोदित किया गया था ताकि भौतिक उपयोग प्रमाण पत्र बनाने से बच सके। डीबीटी भुगतान को सरल बनाने के लिए वित्तीय मध्यस्थता के लिए लेनदेन प्रभार का भुगतान वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारितानुसार किया जाएगा।

उपरोक्त पीएफएमएस प्रणाली के प्रभावी / पूर्ण उपयोग के लिए उपरोक्त निर्देशों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए ।

आर. सतीश कुमार

[आर. सतीश कुमार]
निदेशक [वित्त]

सेवा में,
मुख्य संस्थान/क्षेका./प्र के./कमाबैं तथा मूकमाबैं के निदेशक/प्रभारी अधिकारी